कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-03.01.2025

विषयः- इनवेस्टमेंट के नाम पर अतिरिक्त लाभ का लालच देकर व नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने के मामले में वांछित 02 नफ़र अभियुक्त 01- अवधेश कुमार व 02- चंद्रमणी कुशवाहा थाना सारनाथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद कूटरचित आधार कार्ड व 01 आई0डी0 कार्ड बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के कुशल नेतृत्व में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-472/2024 धारा 420,406,120B भा0द0वि0 व बढोत्तरी धारा 467,468,471 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित 02 नफ़र नामजद वांछित अभियुक्तगण 01- अवधेश कुमार पुत्र प्रभुनरायण निवासी फ्लैट नम्बर डी-5 चतुर्थ तल सिद्धि अपार्टमेट मवैया थाना सारनाथ जनपद वाराणसी व 02- चन्द्रमणि कुशवाहा पुत्र शंकर कुशवाहा निवासी सा 14/97 के 4 शक्तिपीठ कालोनी बरईपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को आज दिनांक-03.01.2025 को समय करीब 00.30 बजे थाना परिसर थाना सारनाथ वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 03 अदद कूटरचित आधार कार्ड, 01 अदद आईडी कार्ड व 100/- रुपये नगद बरामद हुआ। उक्त गिरफ़्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 10.10.2024 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने विपक्षीगण 1- चन्द्रमणि कुशवाहा व 2- अवधेश कुमार द्वारा प्रार्थी के पुत्र को सरकारी संस्थानों में नौकरी दिलाने के नाम पर प्रार्थी से 3,00,000/- रूपया लेकर धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना सारनाथ में मु0अ0सं0-472/24 धारा 420,406,120B भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 जगदीश सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 467,468,471 भा0द0वि0 की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01- अवधेश कुमार पुत्र प्रभुनरायण निवासी फ्लैट नम्बर डी-5 चतुर्थ तल सिद्धि अपार्टमेट मवैया थाना सारनाथ जनपद वाराणसी, उम्र करीब 43 वर्ष।

02- चन्द्रमणि कुशवाहा पुत्र शंकर कुशवाहा निवासी सा 14/97 के 4 शक्तिपीठ कालोनी बरईपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी, उम्र करीब 58 वर्ष।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त अवधेश कुमार ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं लोगों को अपना फर्जी आधार कार्ड तथा SMIFS लिमिटेड कम्पनी की आईडी दिखाकर उन्हें अपनी कम्पनी में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ और अतिरिक्त लाभ का लालच देता हूँ। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ही क्षेत्रीय आधार कार्ड रखता हूँ जबकि मेरा मूल निवास ग्राम व पो0 राजेपुर जिला जौनपुर है। इन सब कामों में मैं एक लोकल आदमी चन्द्रमणि कुशवाहा की सहायता लेकर लोगों को बुलवाकर पैसे लेता हूँ और हम दोनों पैसो को आपस में बाट लेते हैं। किसी के द्वारा पैसे मांगने पर दूसरे का पैसा दूसरे को दे देते हैं और ऐसे ही करके विभिन्न तरीकों से लोगों को लालच देकर हम लोगों ने कई लोगों से लाखों रुपये लिए हैं। मैं इन रुपयों को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करता था लेकिन पिछले एक साल से काफी घाटा होने के कारण मैं लोगों का पैसा वापस नहीं कर पा रहा था और इसलिए हम दोनों लोग सभी से छिपते फिर रहे थे।

अभियुक्त चन्द्रमणि कुशवाहा ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र के सभ्रान्त लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लेते थे और उनको विश्वास दिलाने के लिए फर्जी आईडी उपलब्ध करवाते थे।

बरामदगी का विवरण- 03 अदद कूटरचित आधार कार्ड, 01 अदद आईडी कार्ड व 100/- रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

थाना परिसर थाना सारनाथ वाराणसी से, दिनांक-03.01.2025 को समय करीब 00.30 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 472/2024 धारा 420,406,120B,467,468,471 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01- थानाध्यक्ष विवेक त्रिपाठी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

02- उ0नि0 जगदीश सिंह थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

03- हे0का0 उमेश कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

04- का0 अशोक यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।